

पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन/वैकेंट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.11.2025 को पेश हो।

५००

उपाखण्ड अधिकारी कानून
जिला झुन्झुनू (राज.)

25/11/25

पत्रावली, वरुण सिंह व कुलदीप फारकन
उपाखण्ड, पोठासीन आवाकाश अन्य काब
में तयार है/ भ्रमण पर है। पत्रावली मग
आदेशानुसार दिनांक 28/11/25
को पेश हो।

५००

28/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील कदी व्यक्ति
वकील कदी द्वारा सार्जना पत्र पेश
कर निवेदन किया की पक्षकारों के
मध्य डापस में राजीनामा घे चुका
है इत रस सार्जना पत्र को डापे
नहीं चलाना चाहते है। इसी स्तर
पर सार्जना का सार्जना पत्र सिद्ध
किया जाता है। सार्जना की पहचान
वकील सार्जना द्वारा की गई। पत्रावली
गम्बर से कम घेकर दाखिल दफतर
है।

५००

